



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बैंगलूरु -560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 575 का संशोधन सहीत नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number 575

विषय / Sub : सूपर पोलिमाइड ब्रेइड स्लीव्स
Super Polymide Braided Sleeves

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स मेटल क्लोथ प्रोडेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट सं.5/7, हुसैनाबाद, सं.5, लैंगफोर्ड रोड, लैंगफोर्ड टाउन, बैंगलूरु – 560 025 द्वारा विकसित तथा उत्पादित " सूपर पोलिमाइड ब्रेइड स्लीव्स" पार्ट सं.: एसी-एसपी-01 को संदर्भ सं. एरो/आरडी-132/106/4/1, दिनांक 30 जनवरी 1990, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 575 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-575-5आर, दिनांक 11 जुलाई 2012 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक था।

This is to state that the "Super Polymide Braided Sleeves" bearing Part Number: AC-SP-01 developed and manufactured by M/s Metal Cloth Products Private Limited, Flat No. 5/7, Husainabad, No. 5, Langford Road, Langford Town, Bengaluru-560 025 was issued Type Approval No.:575 vide Ref. No.: Aero/RD-132/106/4/1, dated: 30th January 1990. Subsequently it was renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-575-5R, dated: 11th July 2012 with validity 30th June 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवम्बर 2017 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 अक्टूबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर), सेमिलैक, डी आर डी ओ, रक्षा मंत्रालय, द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बैंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st November 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st October 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), CEMILAC, DRDO, Ministry of Defence, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Helicopter Division, Bengaluru-560 017, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

4. संदर्भ सं. एरो/आरडी-132/106/4/1, दिनांक 30 जनवरी 1990 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: Aero/RD-132/106/4/1, dated: 30th January 1990 is amended as stated herewith.

“[अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency].”

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-575/6R
दिनांक / Date : 15 November 2017
फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856




(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)